129/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2023	पत्रावली वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अपील जरिये विड्रो खारिज करने बाबत पर आज पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री रोशनलाल एवं रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश के विरुद्ध विचाराधीन है। विचारण न्यायालय में मूल दावे का निस्तारण हो चुका है। इसलिए उक्त अपील अब चलने योग्य नहीं रह गई है। अतः अपील अपीलांट जरिये विड्रो खारिज की जावे। जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपील जरिये विड्रो खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय दिनांक 07.02.2023 की प्रति मुताबिक विचारण न्यायालय में मूल दावा संख्या 131/2020 का अंतिम निर्णय हो चुका है। हस्तगत अपील अदालत हाजा के समक्ष धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में पारित आदेश के विरुद्ध विचाराधीन है। मूल दावे के निस्तारित हो जाने से हस्तगत अपील प्रभाव हीन हो चुकी है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील जरिये विड्रो खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति सूचनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Sd/- 19.X.23 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	CRM